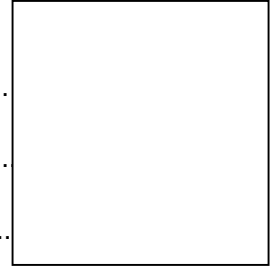




शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र (2026-27)



1. छात्र / छात्रा का नाम :
2. पिता का नाम :
3. माता का नाम :
4. स्थायी पता :
5. कैटेगरी/जाति :
6. छात्र/छात्रा का मोबाईल नं:
7. अभिभावक का मोबाईल नं:
8. जन्मतिथि :
7. ब्लड ग्रुप :
9. कक्षा/ ब्रांच :
10. पूर्व शैक्षणिक विवरण

क्रमांक	कक्षा/ ब्रांच	प्रतिशत	अनुत्तीर्ण विषयों की संख्या

11. स्थानीय पालक का नाम, मोबाईल नं. एवं पता :
-

घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी जानकारी सत्य है और मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं महाविद्यालय एवं छात्रावास के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करूंगी ।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

(2)

..... को दिनांक
में छात्रावास के कमरा नम्बर प्रवेश दिया गया, बशर्ते कि आवेदक द्वारा आवश्यक शुल्क
दिनांक तक कार्यालय में जमा कर दिया जावे ।

प्राचार्य
शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय
रायपुर (छ. ग.)

छात्रावास अधीक्षक
शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय
रायपुर (छ. ग.)

..... ने छात्रावास शुल्क रुपये रसीद क्रमांक
दिनांक.....को कार्यालय में जमा कर दिया गया हैं ।

लेखापाल
शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय
रायपुर (छ. ग.)



शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

-: शपथ पत्र :-

छात्रावास हेतु छात्रों द्वारा पालन किए जाने वाले संबंधी सामान्य नियम एवं निर्देश

1. छात्रावास के किसी भी छात्र को छात्रावास के अन्दर मोटर व्हीकल /2 व्हीलर/4 व्हीलर इत्यादि रखने की अनुमति नहीं होगी, साइकिल रखने की पूरी छूट होगी।
2. सभी छात्रावासी छात्रों को संस्था की गरिमा के अनुरूप आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. छात्रावासी छात्रों को संस्था द्वारा जारी वैद्य पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
4. छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, संगोष्ठी अथवा मीटिंग संस्था प्रमुख / वार्डन के बिना लिखित अनुमति नहीं की जावेगी।
5. छात्रों को स्वयं के कक्ष, कॉमन क्षेत्र, मेस एवं छात्रावास के चारों ओर साफ सफाई बनाये रखेंगे। छात्रावास भवन के नियत स्थानों को छोड़कर दीवारों आदि पर सूचना या अन्य पोस्ट चस्पा नहीं करेंगे।
6. छात्रावासी छात्रों को निर्धारित समय रात्रि 8 बजे के बाद छात्रावास से बहार जाने की अनुमति नहीं होगी।
7. छात्रावास में प्रतिदिन संध्या 7.30 बजे से सभी छात्र उपस्थित हेतु कामना कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य है।
8. छात्रों को कक्ष उन्हें उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आबंटित किया जावेगा। समय-समय पर आवश्यकता अनुसार अनुरक्षण हेतु छात्रावास अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
9. छात्रावास कक्ष में वितरण की गई सामग्री की क्षति होने पर संबंधित छात्र द्वारा क्षतिपूर्ति की जावेगी।
10. छात्र अन्य किसी कक्ष से किसी भी तरह की सामग्री (ट्यूबलाइट, पंखा आदि) निकाल कर अपने कक्ष में स्थानांतरित नहीं कर सकेंगे।
11. छात्र स्वयं के कक्ष में भोजन तैयार नहीं कर सकेंगे एवं इससे संबंधित सामग्री जैसे हीटर, विद्युत, प्रेस इत्यादि नहीं रख सकेंगे।
12. छात्र आबंटित कक्ष की पंखा, लाइट इत्यादि बंद करके ही प्रस्थान करेंगे।
13. कोई भी छात्र रैंगिंग में लिप्त पाये जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
14. स्थान में अध्ययनरत सभी छात्रों रैंगिंग से संबंधित एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।
15. कोई भी छात्रावासी छात्र किसी भी तरह की अनुशासनहीनता/या शासकीय संपत्ति को क्षति/या अन्य अनाधिकृत कृत्या करते हुए पाये जाने पर/ये शिकायत पर पुष्टि होने पर यह निर्धारित आचरण संहिता का पालन करने पर अनुशासन समिति के निर्णय के अनुसार दण्ड का भागी होगा। जिसमें छात्र का छात्रावास से निष्काशन/संस्था से प्रवेश निरस्त/आर्थिक दण्ड इत्यादि हो सकता है। जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे।
16. छात्र किसी भी सामाजिक राष्ट्रोद्दी एवं अन्य विपरीत गतिविधियों में संस्था, छात्रावास या कैंपस से बहार किसी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।
17. बालक छात्रावास में बालिका एवं बालिका छात्रावास में बालक छात्र का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
18. किसी भी अनाधिकृत अभिभावक / रिश्तेदार को छात्रावास में रुकने पर छात्रों का छात्रावास से निष्काशन या अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
19. किसी भी छात्र के विपरीत लिंग के रिश्तेदार छात्रावास में रुकने या विजिट करने की अनुमति नहीं होगी।
20. छात्रों की अतिथि या अभिभावक के छात्रावास में विजिट पर विजिट पंजी में एंट्री करनी होगी।
21. उपरोक्त नियम निर्देश के विपरीत ऐसी कंडिका जिसका उपरोक्त में उल्लेख नहीं हुआ हो ऐसा कंडिका पर संस्था प्रमुख का निर्णय मान्य होगा।

मैं.....पिता का नाम :.....कक्षा/ब्रांच.....

मो. नं. :-उपरोक्त सभी नियमों का पालन करूंगा।

हस्ताक्षर